

राजस्थान सरकार
आयुक्त, महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प-7(1)(14)निमअ/स्टोर/पूल/ 2010-11/ 12799-800

जयपुर, दिनांक 15/3/13

प्रेषक :-
शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति :-
आयुक्त
महिला अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

स्वीकृति संख्या 38/2012-13


विषय - महिला अधिकारिता विभाग को वर्ष 2013-14 हेतु कुल 45 किराये के वाहनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महिला अधिकारिता विभाग को निम्न विवरण अनुसार वर्ष 2013-14 हेतु (दिनांक 1 मार्च 2013 से 28 फरवरी, 2014 तक भुगतान हेतु) कुल 45 किराये के वाहनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 10.02.12 एवं परिपत्र दिनांक 01.11.12 की दरों एवं शर्तों की पालना सुनिश्चित किये जाने की शर्त पर निम्न विवरण अनुसार राज्यपाल महोदया की ओर से एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र स	स्वीकृत किराये के वाहनों की संख्या/कार्यालय	अधिकारी का पदनाम	स्वीकृत लेखा शीर्ष	अधिकतम दर प्रति माह/किलोमीटर प्रतिमाह
1	2	3	4	5
1	5/महिला अधिकारिता मुख्यालय, जयपुर	1 आयुक्त 2 परियोजना समन्वयक (जैण्डर सैल) 3 अति० निदेशक (मअ) 4 अति० निदेशक (SHG) 5 मुख्य लेखाधिकारी	1 2235-02-103-05-01-36 (आयोजना) 2 " " " " " " 3 " " " " " " 4 2235-02-103-12-00-36 (आयोजना) 5 2235-02-103-05-01-36 (आयोजना भिन्न)	23000/- रुपये एवं 2500 किमी
2	1/राज्य महिला आयोग	1 सदस्य सचिव	2235-02-103-10-00-12 (आयोजना भिन्न)	23000/- रुपये एवं 2500 किमी
3	7/सभाग स्तर के सात कार्यालयों हेतु	1 कार्यक्रम निदेशक 7	2235-02-103-05-01-36 (आयोजना भिन्न)	20000/- रुपये एवं 2000 किमी
4	32/32 जिला कार्यालयों हेतु (कोटा जिले को छोड़कर)	1 कार्यक्रम अधिकारी 32 (कोटा जिले को छोड़कर)	2235-02-196-02-01-36 (आयोजना भिन्न)	20000/- रुपये एवं 2000 किमी

request
for read
ke
24/3

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.संख्या 161300363 दिनांक 04.03.13 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है ।



शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राज0, जयपुर

क्रमांक प-7(1)(14)निमअ/स्टोर/पूल/ 2010-11/ 12801-913

जयपुर, दिनांक 15/3/13

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राज., जयपुर ।
4. निदेशक (बजट) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. परियोजना समन्वयक (जैण्डर प्रकोष्ठ), मुख्यालय, जयपुर
7. अति० निदेशक (मअ)/(SHG), मुख्यालय, जयपुर
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, संबंधित.....।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त
10. कार्यक्रम निदेशक, क्षेत्रीय स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण एवं संदर्भ केन्द्र समस्त
11. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता (जि.म.वि.अ.), महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त
12. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर


मुख्य लेखाधिकारी
महिला अधिकारिता
राज0, जयपुर